सुमित्रा देवी आदि **बनाम** दर्शन सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 39 सन् 2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/74

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.08.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व ग्राम 9 एस ए, की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 50/46 में प्रार्थी संख्या 1 सुमित्रा देवी के नाम दर्ज 1.549 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 2 मंगत राम के नाम दर्ज 1.550 हैक्टेयर भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निर्णय तक बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत भूमि के बैयनामाजात व उसके आधार पर दर्ज नामान्तरण आरम्भतः शून्य है और हम अप्रार्थीगण के हितों पर निष्प्रभावी है। वादगत भूमि वर्ष 2003 से ही निरन्तर हमारे कब्जा में चली आ रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किए जाने के आदेश दिए जावे। लिहाजा हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बनना प्रतीत नहीं होते है। प्रार्थीगण/वादीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। सहायक कलक्टर एव पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	

उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर (श्री गंगानगर) (राजस्थान)